राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil First Appeal No. 272/2017

20.12.2018

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ए.के.बाजपेयी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री मनु भार्गव / श्री पी एल शर्मा

ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को जिन कानूनी मुद्दों पर चुनौती दी गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गये तर्को की रोशनी में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक **28.7.2017** को मूल अपील के अंतिम निस्तारण तक संपुष्ट किया जाता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/45